

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 18/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :- विजय कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं05, केदार चौक,
पीएस पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर । (राज0)

----- अपीलांत

--- बनाम ---

राजस्थान स्टेट

----- रेस्पोंडेन्ट


उपस्थित :- ज्ञानसिंह
कमलजीतसिंह

अभिभाषक अपीलान्त
सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।


निर्णय

दिनांक 19.8.2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.10.2018 जिसके द्वारा अपीलान्त को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 18.11.2014 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी विजय कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं05, केदार चौक, पीएस पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टा करने का आदी है, गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुद्ध जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए तथा दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खर्इवाली करने से युवा पीढी पर बुरा प्रभाव पड़ता है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19.11.14 को अपीलान्ट के निमित्त जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 16.12.2014 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में अपीलान्ट के निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं आने पर पुनः नोटिस जारी कर तलब किया गया । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.5.15 को उपस्थित होने के पश्चात दिनांक 18.8.15 को जवाब नोटिश पेश किया गया तथा दिनांक 24.10.18 को जवाब दावा पेश करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक उसी दिनांक 24.10.18 को निर्णय परित कर अपीलान्ट के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय हनुमानगढ़ टाउन में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 24.10.2018 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।
5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपनी बहस में कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर द्वारा 2 मुकदमे दर्ज किये गये थे, जिनमें न्यायालय द्वारा 100-100 रुपये जुर्माना लगाया गया है । अपीलान्ट को न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.18 द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर 6 माह की अवधि के लिए जिला श्रीगंगानगर से निष्कासित कर थानाधिकारी, पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलान्ट द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में उपस्थिति दर्ज करवाई जाकर 6 माह के लिए मुख्यावास हनुमानगढ़ टाउन में नेक चलनी से निवास किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से इसी आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।
6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के तहत वर्ष 2014 में छः माह की अवधि में 2 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 5.11.2014 तथा अभियोजन पक्ष


 अधीनस्थ न्यायालय
 डी.कानेर

के गवाह के अनुसार गैर सायल आवारा किस्म का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन तथा लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्त द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलान्त का मुख्यरूप से कथन है कि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलान्त द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन में उपस्थिति दर्ज करवाई जाकर 6 माह के लिए हनुमानगढ टाउन में नेक चलनी से निवास किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से बिना गुणदोष का विवेचन किये, इसी आधार पर अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे । हम अभिभाषक अपीलान्त के कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि अपीलान्त द्वारा 6 माह के निष्कासन अवधि में हनुमानगढ टाउन में नेक चलनी से निवास करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन का कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में हम अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं ।

8. प्रकरण अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 4.10.18 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 मुकदमे दर्ज होकर दोनों मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है:

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	220/8.7.2014	13 RPGO	12.8.14	सजा 100/- जुर्माना
2	225/11.7.2014	13 RPGO	14.8.2014	सजा 100/- जुर्माना

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तों का होना आवश्यक है :-

क- वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख- (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट

किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग- साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।


10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2-ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में



आता है। प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत वर्ष 2014 में छः माह की अवधि में 2 मुकदमे दर्ज हुए एवम् दोनों मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है। प्रकरण में प्रस्तुत इस्तगासा, नकल रपट रोजनामचा आम दिनांक 5.11.2014 एवम् अभियोजन पक्ष के गवाह अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है। इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन में भय व्याप्त है तथा भय के कारण लोग इसके विरुद्ध पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्त द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है। रपट रोजनामचा अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है। अपीलार्थी की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्त के विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं। अपीलान्त के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है। इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्त को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला हनुमानगढ में थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं तथा अपीलान्त द्वारा निष्कासन सजा पूर्ण करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.18 में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.18 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

12. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर